कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: **आदेश** ::

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु शासकीय निर्देशानुरूप घोषित लॉकडाउन के दौरान जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नगरिकों को राशन वितरण की कार्यवाही सम्पादित करवाई जा रही है। उक्त कार्य हेतु वर्तमान में कई स्थानों पर उचित मूल्य दुकानों के पास पर्याप्त स्थानाभाव के कारण नागरिकों के मध्य सामाजिक दूरी/सम्पर्क रहित वितरण कार्यवाही सम्पादन में व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर राजकीय विद्यालयों के भवनों का जिला कलक्टर के आदेशानुसार राशन सामग्री वितरण हेतु उपयोग में लिया जाना है।

उक्त क्रम में खाद्य सामग्री वितरण के उद्देश्य से राजकीय विद्यालयों के भवन उपयोग हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर अधिकृत होंगे। सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में उक्त कार्यवाही सम्पादन करवाने हेतु तत्काल प्रभाव से विभागीय प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित **जिला कलक्टर के आदेशोपरान्त** ब्लॉक क्षेत्राधिकार में चिह्नित राजकीय विद्यालयों को (उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री वितरण हेतु स्थान) **निर्दिष्ट अवधि हेतु** उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/304 दिनांक :08.04.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देश दिनांक : 31.03.2020 के कम में सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
11. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर